

प्येन के सगे को लहर प्रार्थी व विज्ञापितगो
टमेवा तनाजा बना रहला है। प्रार्थी को अपने प्र
सगे का सही ज्ञान ठाने हेतु न्येयमबन्दी इतवानी का
शुभ है। इसलिये प्रार्थी का न्येयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया
जाउर न्येयमबन्दी कार्या किया जावे।

फल: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर
प्रार्थी का न्येयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाउर लघु-
सीलगाह गिरा को उमिदान व सम्बन्धित भूठ अमिलेख
निरिस्त को सहायक उमिदान निधुन किया जाउर
कार्य किया जाता है कि काय स्वयं या सहायक उमि-
वानर से प्रार्थी के प्वातेगारी प्येता की पम्बी न्येयमबन्दी
मोडि पर उमिदान शुल्क जमाउर/उर। पालना रिपोर्ट
पालत होने पर शामिल पमावली टी। पमावली फेमल
शुमार होउर इज नम्बर से उम टी बाकिल ट्रपल टी।

विशुध्याय

21.9.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बापतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

आवेदन / 2020 / 687

दिनांक :- 22/09/2020

आवेदन संख्या -189 / 2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री गुलाबाराम पुत्र पेमाराम के
कायम मुकाम जाति-मेघवाल,
निवासी-कसुम्बला हरचंद,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

श्री लुम्बाराम पुत्र हरूराम वगैरा 12,
निवासी-कसुम्बला हरचंद,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-कसुम्बला हरचंद, पटवार मण्डल-कसुम्बला भाटियान, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 124/70 रकबा 36.14 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कमाक/आवेदन/2020/688-692

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री गुलाबाराम पुत्र पेमाराम के कायम मुकाम।
4. विप्रार्थीगण श्री लुम्बाराम पुत्र हरूराम वगैरा 12।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।


सहायक कलेक्टर
(विवेक व्यास) (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक :- 22/09/2020


सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु